

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 78 / 2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2025 / 123

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.किशनसिंह पुत्र पीथाराम 2.जोईतसिंह पुत्र पीथाराम 3.मोरोदेवी पत्नि पीथाराम 4.शैतानसिंह पुत्र पीथाराम 5.सवाईसिंह पुत्र पीथाराम जाति पुरोहित निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.आईदानसिंह पुत्र मांगीलाल 2.आम्बरसिंह पुत्र मांगीलाल 3.खीमसिंह पुत्र मांगीलाल 4.भंवरसिंह पुत्र मांगीलाल 5.भूरसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह 6.बाबुसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह 7.दयालसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह 8.तगुदेवी पत्नी पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह 9.छगनसिंह पुत्र देवी पुरोहित 10. हनुमानसिंह पुत्र देवी जाति पुरोहित निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 11. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा आसोतरा 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2,4,5,9 व 10
3. विप्रार्थी संख्या 1,3 व 6 से 8 एवं 11 एकपक्षीय
- 4.विप्रार्थी संख्या 12 अनुपस्थित

:आदेश :

दिनांक- 21/06/2025



1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी श्री किशनसिंह पुत्र पीथाराम, जोईतसिंह पुत्र पीथाराम,मोरोदेवी पत्नि पीथाराम,शैतानसिंह पुत्र पीथाराम व सवाईसिंह पुत्र पीथाराम जाति पुरोहित निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा व जिला

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1092/855 वर्तमान खसरा संख्या 1350/1092 भौजा मांगीवाला तहसील पंचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्राधी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1093/855 व 1086/855 में से 06 मीटर चौड़ा रास्ता नक्शा परिशिष्ट अ मार्क अ से ब कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राधी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्राधीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र महलोत द्वारा विप्राधी संख्या 2,4,5 व 9,10 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन अस्वीकार करते हुए आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्राधी संख्या 1,3 व 6 से 8 एवं 11 की सम्यक तागीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई तन्ना
3. विप्राधी संख्या 12 तहसीलदार पंचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल है। मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 1093/855 में रास्ते हेतु 0.0768 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1089/855 में से 0.0318 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1087/855 रकबा 0.0138 हैक्टेयर कुल रकबा 0.1224 हैक्टेयर उपयोग हो रहा है। खसरा संख्या 1093/855, 1089/855 की वर्तमान डी.एल.सी रेट 48,00,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा खसरा संख्या 1087/855 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट 11,00,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर है, प्रार्थीगण ने रास्ते हेतु विप्राधीगण से खसरा संख्या 1321/867 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि खरीद की थी, प्रार्थीगण खसरा संख्या 1093/855 से पूर्व में आवागमन करते थे, लेकिन वर्तमान में रास्ता बंद है, खसरा संख्या 1321/867 के आंशिक भाग पर विप्राधीगण के आवासीय मकान है, जिस कारण उक्त भूमि रास्ते हेतु उपर्युक्त नहीं हो सकती, आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता तथा प्रस्तावित किया गया रास्ता कटाण सड़क से नजदीक है, वर्तमान में भूमि मौके पर खाली है। कोई काश्त की हुई नहीं है, विप्राधी श्री भंवरसिंह पुत्र मांगीलाल वगैरा की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1100/868 से लगते खसरा संख्या 1101/868 तथा 1104/868 स्थित है जो की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उससे लगते खसरा संख्या 1102/868 में मौके पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है, जिसके मध्य रास्ता स्थित है जो कटाण नहीं है तथा न ही आवेदक की भूमि से मिलता है।



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

4. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय-पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित स्थान अनुसार रास्ता घोषित करने का निवेदन किया कि वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद रेकर्ड एवं मौका स्थिति में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि खसरा संख्या 867 में से जो 09 विस्वा भूमि प्रार्थीगण व खीमसिंह ने खरीद की थी, जिसके तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 बने थे जिसकी तरमीम रेकर्ड में हुई, उक्त खसरा संख्या 1321/867 की परिधि में मौके पर प्रकरण के विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मकानात बन गये, ताबाद खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम को दुरुस्त करने हेतु प्रकरण के विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवेदन संख्या 101/2025 प्रस्तुत किया है, जिसमें हम प्रार्थीगण ने पक्षकार होने के तौर पर जबाब प्रस्तुत कर जबाब के संलग्न परिशिष्ट 'ब' भी प्रस्तुत किया, परिशिष्ट 'ब' में वर्णित मार्क अ, ब, स अनुसार खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम प्रकरण में विवाद नहीं बढ़े इसलिए मुख्य सड़क से लगते मूल खसरा संख्या 867 की परिधि में तरमीम दुरुस्ती का निवेदन किया, ताकि विवाद नहीं बढ़े, क्योंकि वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण ने कथन किया है कि जिस प्रकार हम प्रार्थीगण ने आवेदन के संलग्न नक्शा में रास्ता की मांग की है वो तथा तहसीलदार पचपदरा, भू-निरीक्षक आसोतरा, पटवारी पटवार हलका मांझीवाला ने जो मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ता की स्थिति बतायी है उसे अपने घर के नजदीक होना बताया है, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विप्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ता उनके घर के नजदीक होना बताकर उनकी निजता भंग होने का भी एतराज किया है। चूंकि हम प्रार्थीगण के पास भूमि खसरा संख्या 1092/855 वर्तमान खसरा संख्या 1350/855 में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते हेतु खरीद की गयी भूमि खसरा संख्या 1321/867 की वर्तमान तरमीम को दुरुस्त करने का आवेदन भी प्रकरण के विप्रार्थीगण ने न्यायालय में पेश किया है जो बाद गुणावगुणों निर्णित किया जाकर मूल खसरा संख्या 867 के पड़ौसी खसरा संख्या 1100/868 के लगती सीमा से पक्की डामर सड़क तक तरमीम दुरुस्त करने का आदेश भी पारित हुए हैं, उक्त सभी तरमीम दुरुस्त के प्रकरण प्रस्तुत करने की घटनाएँ पश्चातवृति हैं, इसलिए आवेदन के संलग्न मार्क अ से ब चाहे गये रास्ता की बजाय पड़ौसी खसरा संख्या 1100/868 के लगती सीमा पर जरिए दुरुस्ती तरमीम दर्ज की गई तरमीम खसरा संख्या 1321/867 के आगे खसरा संख्या वर्तमान 1350/855 तक खसरा संख्या 1105/871 के सेढ़े पर 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किया जावे, ताकि विवाद की स्थिति भी नहीं रहे और उक्त रास्ता निकटतम सुगम रास्ता भी है, जिससे वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण के भी कोई हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे है। विप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1104/871 व खसरा संख्या 1101/868 में से रास्ता



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

घोषित करने का कथन किया है वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि उक्त दोनों ही भूमि संयुक्त खातोदारी की भूमियां हैं। जिनका भाग प्रार्थीगण की खातोदारी भूमि से भी नहीं मिलता है, इस प्रकार उपरोक्त खसरों में से रास्ता घोषित करने से उक्त रास्ता बहुत ही लम्बा एवं दुर्गम होगा। एक तरफ विप्रार्थीगण खसरा संख्या 1321/867 को रास्ते हेतु देने की संस्वीकृती देते हैं, ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ ऐसी भूमि के मौके पर मकानात बनाये होने का कथन करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि रास्ते हेतु उपयोग नहीं हो सकती। प्रार्थीगण ने अपनी खातोदारी भूमि में आवागमन हेतु बतौर क्षतिपूर्ति विप्रार्थीगण को 04.00 बीघा भूमि जरिए रजिस्ट्री दिनांक 05.05.2016 को दी जा चुकी है, उसके उपरांत भी 09 विस्वा भूमि रास्ते हेतु जरिए पंजीकृत दस्तावेज वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण को बेचान कर अब मौके पर रास्ता अवरोधित भी किया है, जिससे विप्रार्थीगण की बदनियती स्पष्ट है। प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जहां तक मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण का एतराज है, उनका एतराज निरर्थक, निराधार है, क्योंकि मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर ही भू-निरीक्षक व पटवारी पटवार हल्का ने तैयार की है, उक्त तथ्य मौका रिपोर्ट जो न्यायालय श्री में तहसीलदार के मार्फत प्रस्तुत हुई है के संलग्न एक आवेदन पत्र जो तहसीलदार पचपदरा व निरीक्षक भू-अभिलेख जसोल को दिनांक 07.04.2025 को पेश किये हैं वो पत्रावली के संलग्न है, जिसमें भी खसरा संख्या 1011/868, 1104/868 व 1322/867 में नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण के पास होने का कथन है। मौका रिपोर्ट के वक्त उक्त लिखित एतराज पर भी भू-निरीक्षक आसोतरा व पटवारी हल्का ने गौर किया तथा अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया कि रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता निकटतम है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावे।

5. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की पालना नहीं की है, ऐसी रिपोर्ट से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त करना तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई, सबूत का अवसर देना तथा उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करना आज्ञापक रूप से आवश्यक है, मौका रिपोर्ट जल्दबाजी में मंगवायी गयी है, जो बिना प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई सबूत का अवसर दिये एकतरफा रूप से तैयार की गई है, राजस्व टीम द्वारा विप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु नोटिस नहीं दिया गया है, मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थीगण को हम विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मांगीलाल द्वारा रास्ते हेतु खसरा संख्या 867 में से भूमि दी जा चुकी है, जिसके खसरा संख्या 1321/867 दर्ज है, जिसकी तरमीम प्रार्थीगण द्वारा गलत करवायी गयी है, मौका रिपोर्ट में दूरी या डी.एल.सी. रेट का कोई विवरण नहीं दिया



  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

है, अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जानबुझकर प्यारीदेवी को वर्तमान प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये आवेदन चलने योग्य नहीं है, प्रार्थीगण को रास्ते हेतु खसरा संख्या 867 में से भूमि दी जा चुकी है। दिनांक 05.05.2016 को करवायी गयी रजिस्ट्री में भूमि निजी रास्ते हेतु उपयोग लेने का स्पष्ट विवरण अंकित है, खसरा संख्या 867 में से एक बार भूमि दी जा चुकी है, अब पुनः प्रार्थीगण की सुविधा, मर्जी अनुसार नहीं दी जा सकती, प्रार्थीगण खसरा संख्या 1321/867 के खातेदार है, उक्त खसरा कटाण रास्ता से जुड़ता है, इसलिये प्रार्थीगण कोई रास्ता का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। खसरा संख्या 1086/744 गैर मुमकिन बेरा है, जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा के साथ खारिज किया जावे। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पूर्व में जरिए रजिस्ट्री दिनांक 05.05.2016 को रास्ता दिया जा चुका है, अब पुनः रास्ता देना कतई उचित नहीं है। मात्र हम विप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 5 को तंग परेशान करने की बदनियती से वर्तमान आवेदन पेश किया है, यदि प्रस्तावित किए गए रास्ते एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर रास्ता घोषित किया जाता है तो उक्त रास्ता उनके रहवासीय मकान के नजदीक है, जिससे उनके परिवार की निजता भंग होगी। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। क्योंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रूप से आवागमन का रास्ता खसरा संख्या 1322/867, 1101/868, 1104/871 में उपलब्ध है, जो चालू हालात में है। वकील विप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि खसरा संख्या 1101/868 व 1104/871 के वो संयुक्त खातेदार है और अन्य खातेदारान से रास्ते हेतु भूमि सरेण्डर करवाने की गारन्टी लेते है, इसलिये भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता देना किसी भी रूप से उचित नहीं है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

6. हमने उभय-पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 1093/855 के खातेदार रहे है, जिनके द्वारा जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 को वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की माता प्यारीदेवी को 04.00 बीघा भूमि बेचान की है और उसी दिन वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता मांगीलाल ने 09 विस्वा भूमि जरिए पंजीकृत दस्तावेज वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 3 खीमसिंह के पक्ष में भूमि का बेचान दिनांक 05.05.2016 को किया, ऐसे बेचाननामा में 09 विस्वा भूमि निजी रास्ते हेतु देना उल्लेखित है तथा उक्त 09 विस्वा भूमि के पश्चिम दिशा में कटाण सड़क होने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

कटाण सड़क के लगती दी गयी,ताबादी 09 विस्वा भूमि के तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 रेकर्ड में दर्ज हुए ,चूंकि रेकर्ड में उक्त भूमि की तरमीम एक रास्ते के रूप में दर्शित हो रही है,किन्तु ऐसी भूमि के भौतिक स्वरूप मौके पर वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण संख्या 1से 4 के मकानात होने का उल्लेख मौका रिपोर्ट में तथा जबाब विप्रार्थीगण में भी आया है,इस कारण मौके पर उक्त 09 विस्वा भूमि रास्ते के उपयोग नहीं आ रही थी, इस वजह से वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण खसरा संख्या 1093/855 में से रास्ते का उपयोग निरंतर रूप से करते रहे,किन्तु उक्त रास्ता भी प्रकरण के विप्रार्थीगण संख्या 1से 4 द्वारा अवरोधित कर दिया, इस संबंध में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष रास्ता खुलवाने के आवेदन पेश हुए, जिसमें मौका निरीक्षण कर मौका फर्द भी भू-निरीक्षक आसोतरा,पटवारी पटवार हल्का माझीवाला एवं तहसीलदार पचपदरा ने बनवायी और अवरोधित रास्ता खुलवाने का प्रयास किया,किन्तु ऐसा रास्ता मौके पर नहीं खोला गया और मौके पर यह भी विवाद हुआ कि जो रास्ते हेतु 09 विस्वा भूमि दी गई, उस पर मकान बना हुआ है, इसलिये उस स्थान पर रास्ता संभंव नहीं है। वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण एक तरफ खसरा संख्या 1321/867 रास्ते हेतु देने की संस्वीकृती देते है और कथन करते है कि प्रार्थीगण को रास्ता हेतु भूमि दी जा चुकी है,इसलिये अब दूसरी जगह रास्ते हेतु भूमि नहीं दी जा सकती, दूसरी श्वास में जो रास्ते हेतु भूमि दी है उस पर उनके मकानात होने का कथन कर ऐसी भूमि की तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण प्रस्तुत करने का कथन किया है। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध नहीं करवाना चाहते है, विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि रास्ता एक बहुत ही जीवन की मूलभूत आवश्यक है, पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य नहीं आया है। जिससे यह साबित हो कि वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो, विप्रार्थीगण ने एतराज किया कि मौका रिपोर्ट में डी.एल.सी. रेट का उल्लेख नहीं किया है,जो गलत है,क्योंकि मौका रिपोर्ट में सड़क से लगती भूमि की डी.एल.सी. रेट एवं सड़क के पीछे की भूमि की डी.एल.सी. रेट का अलग-अलग विवरण अंकित किया हुआ है। न्यायालय हाजा में धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर में से जो 04.00 बीघा भूमि जरिए रजिस्ट्री दिनांक 05.05.2016 को बेचान की थी, का रेकर्ड में अमल दरामद दिनांक 05.05.2025 को प्रथम बार नामानतकरण संख्या 44 के जरिए किया गया, इस कारण उक्त 04.00 बीघा भूमि का तरमीमी खसरा संख्या 1351/1092 बनाया गया, इस वजह से जो खसरा संख्या मूल 1092/855 था,उसके वर्तमान में खसरा संख्या 1050/1092 रकबा 4.1440 हैक्टेयर है, इस संबंध में न्यायालय में एक अन्य प्रकरण संख्या 206/2025 किशनसिंह बनाम



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

प्यारीदेवी भी प्रस्तुत हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सभी कार्यवाही प्रकरण प्रस्तुत होकर दर्ज होने के पश्चात की घटना है। विधि अनुसार जिसका संज्ञान न्यायालय दौरान सुनवाई करने हेतु राक्षम है। वर्तमान प्रकरण से संबंधित भूमि मूल खसरा संख्या 867 में से जो 09 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रार्थीगण को दी गयी, उसके खसरा संख्या 1321/867 बनाये, चूंकि ऐसी भूमि रास्ते हेतु उपयोग नहीं हो रही है, क्योंकि उन पर विप्रार्थीगण के मकान बने हुए हैं, इसलिये उक्त खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम मूल खसरा संख्या 867 की परिधि में पड़ोसी खसरा संख्या 1100/868 के लगती सीमा पर करने के आदेश वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण की ओर से पेश किये गये आवेदन क्रमांक 101/2025 प्रार्थी आईदानसिंह बनाम विप्रार्थीगण किशनसिंह वगैरा के दिए जा चुके हैं, उससे आगे खसरा संख्या 1322/867 से वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1350/1092 तक की दूरी सबसे कम दूरी रहती है, इस कारण सबसे कम दूरी एवं निकटतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1100/868 व उससे आगे खसरा संख्या 1105/871 के सेढ़े पर घोषित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसकी ताईद हल्का पटवारी मांजीवाला की तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.6.2025 से भी होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।


#### आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम मांजीवाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1321/867 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर का भाग बदिशा पश्चिम में कटाण के रास्ते से मिलता है, उक्त खसरा के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को रास्ता घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम दुरुस्त करने के बाद उससे आगे खसरा संख्या 1322/867 क्षेत्रफल 3.1809 हैक्टेयर में से 11045 वर्गफीट रास्ता घोषित किया जाता है। इस प्रकार रास्ता की कुल लम्बाई 1259 फीट व चौड़ाई 15 फीट रहेगी। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर खसरा संख्या 1321/867 में से 06 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होने के कारण प्रतिकर देय नहीं होगा तथा उक्त खसरान में शेष रकबा 03 बिस्वा विप्रार्थी संख्या 03 (खीमसिंह पुत्र मांगीलाल) की खातेदारी में होने के कारण डी.एल.सी.दर की दुगुनी प्रतिकर-01,16,567/- (अक्षरे एक लाख सोलह हजार पांच सौ सड़सठ) एवं खसरा संख्या 1322/867 का प्रतिकर राशि-9,85,070/- (अक्षरे नौ लाख पचासी हजार सतर) रुपये की राशि विप्रार्थी संख्या 01 से 4 को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को




उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
27/06/2025